न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 16/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/61

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
मदनसिंह पुत्र उदयसिंह राजपुरोहित रावलवास तहसील पाली		1. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह राजपुरोहित निवासी रावलवास तहसील पाली जिला पाली 2. ग्राम पंचायत लाम्बिया जरिये सरपंच लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, लाम्बिया द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 25.11.1999 की पालना में अप्रार्थी नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2427 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम लाम्बिया के मुल निवासी है। जैर निगरानी भूखण्ड पर पुश्तैनी शामलाती पोल बनी हुई है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता उदयसिंह की पुश्तैनी कब्जा शुदा भुखण्ड होने से इस पर दोनो का समान अधिकार है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायत में बिना प्रस्ताव, बिना आपत्ति इश्तजार जारी किये एवं मौका निरीक्षण किये बगैर पटटा जारी कर दिया गया जिसके संबध मे ग्राम पंचायत ने बिना विभाजन एवं पंचायत नियमो से परे जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पटटा जारी कर दिया। जो काबिल निरस्त योग्य है। गांव रावलावास की पोल के प्रतिनिधि नारायणसिंह पुत्र लालसिंह व अन्य द्वारा उक्त भुमि बाबत एक सिविल वाद माननीय सिविल न्यायाधिश/क.ख./पाली में वाद स्थाई निषेधाज्ञा व अज्ञापक आदेश का अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के विरूद्ध किया गया जो सिविल मुलवाद संख्या 31/2012 वादीगण बडी पोल रावलवास के प्रतिनिधिगण नारायणसिंह वगैरा बनाम प्रतिवादीगण के नारायणसिंह वगैरा है। सिविल वाद में प्रार्थी के पिता उदयसिंह पुत्र मानसिंह जो वर्तमान में फौत हो चुके है द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिया था जिसके पैरा सख्या 04 में कथन किया गया है कि नारायणसिंह को पुश्तैनी जायदाद मे से हिस्सा देकर अलग कर दिया गया था एवं मेरी पुश्तैनी भुमि पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का पट्टा देने का हक अधिकार नही है। जैर निगरानी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 25.11.99 के प्रस्ताव

अति. जिला कलक्टर, पाली

संख्या 5 पारित किया गया वो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। बयान अनुसार अप्रार्थी का जैर निगरानी भूखण्ड पर 60–65 वर्ष पूराना कब्जा बाताया है जबकि अप्रार्थी की उम्र ही 61 वर्ष है। साथ ही उदयसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी को गावॅ में अन्य जगह भूखण्ड दे रखा था तथा जैर निगरानी भूखण्ड उभयपक्ष की पुश्तैनी है। जिसे अप्रार्थी ने बिना सहमति के अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में निरीक्षण प्रपत्र में पडौस अंकित नहीं है तथा न ही पंचायती राज नियमों की विधिवत रूप से पालना की गयी है। जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत दिया गया है इस नियम के तहत पुराने बने गृहो के विनियमिति करण हेतु पटटा जारी किया जाता है जबकि मौके पर जैर आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही हो रखा जो नियम 157(ख) की श्रेणी में आता है। जैर निगरानी पट्टा 162.4 वर्गगज भुमि का जारी किया गया है जबकि पंचायत राज नियम 143 के तहतग्राम पंचायत आवास प्रयोजनार्थ केवल 100 वर्गगज तक की भुमि का ही पटटा जारी कर सकती है। 100 वर्गगज से अधिक होने पर बाजार दर्ज या निलामी प्रक्रिया के द्वारा ही पट्टा जारी किया जा सकता है जैर निगरानी आजारी भुमि की बाजार दर्ज वर्तमान मे एक लाख रूपये है ग्राम पंचायत को 10 रूपये से अधिक की बाजार दर की किमत के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जैर आराजी के संबध में ऐसी किसी प्रकार की प्रक्रिया नही अपनायी गयी एवं मात्र दो सौ रूपये मे ही जैर निगरानी आराजी का पटटा जारी कर दिया गया। जो पंचायत राज नियमों के विरूद्ध एवं पंचायत के हक अधिकारो से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया जो काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के अधिववक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम लाम्बिया का स्थायी निवासी है एवं जैर निगरानी पट्टे के लिए अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने कब्जाशुदा पुश्तैनी कच्चा मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत नियमों के तहत दिनांक 23.12.1989 को आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके पडौस पूर्व में शामलाती पोल, पश्चिम में फतेहसिंह पुत्र बालुसिंह का मकान एवं प्लाट, उत्तर में मदनसिंह पुत्र उदयसिंह का मकान एवं दक्षिण में फतेहसिंह पुत्र बालुसिंह का प्लॉट आया हुआ। उक्त भूखण्ड पर केवल अप्रार्थी नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह का ही कब्जा है जिसका पूर्व में कोई पट्टा नहीं बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.01.1999 को ग्राम पंचायत की बैठक में लिया जाकर सचिव को पंचायत नियम 146 के तहत भूखण्ड का नक्शा बनाने हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी कायम की तथा उसके पश्चात आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो मौतबिरानों के रूबरू सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया गया। इसके एक माह गुजरने के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना की गई है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण खारिज फरमावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 25.11.1999 द्वारा अप्रार्थी नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 2427 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत लाम्बिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कच्चे मकान का पट्टा बनाने का

अति. जिला कलक्टर, पाली

निवेदन किया है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 25.02.1999 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया जिनके नाम आज्ञा सूची में अंकित किये गये। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की अक्षरशः पालना की गयी है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) की पालना करते हुये ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 10.03.1999 को आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। आज्ञासूची दिनांक 10.11.99 में अंकितानुसार 2 गवाह जिनके नाम मिसल की आज्ञासूची पर अंकित है के बयान लिये गये एवं उनके बयान अनुसार जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी के सिवाय किसी का कोई कब्जा अधिकार, हक हकूक नहीं है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर की बैठक दिनांक 25.11.99 के प्रस्ताव संख्या 5 में सर्व सम्मति से जैर निगरानी पट्टा जारी संख्या 2427 दिनांक 10.07.2000 जारी किया गया जिसका क्षेत्रफल 162.4 वर्ग गज है। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी ने 200 रूप्ये जरिये रसीद संख्या 12 दिनांक 08.07.2000 के द्वारा जमा करवाये जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है।

ग्राम पंचायत लाम्बिया की रिपोर्ट दिनांक 20.07.19 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में आता है। इस भूमि पर अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य को पट्टा जारी नहीं किया गया है। जैर निगरानी पट्टे पर आवंटी का पैतृक (पुश्तैनी) कब्जा है जिसके आधार पर उक्त पट्टा जारी किया गया। मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार इस पट्टे में दर्शायी भूमि पर अप्रार्थी अपने परिवार सहित पुश्तैनी निवासरत है। नजरी नक्शे मुताबिक भी अप्रार्थी को आधी भूमि का ही पट्टा दिया गया है शेष आधी भूमि प्रार्थी हेतु छोडी गई है। निगराकार का यह कथन है कि अप्रार्थी के पिता द्वारा पूर्व में ही अन्यत्र भूमि दे दी गई थी तथा इस कारण अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, साक्ष्य के अभाव में मान्य नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट और ग्राम पंचायत के रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा विधिवत तरीके एवं नियमों के तहत जारी किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत लाम्बिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कच्चे मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 25.02.1999 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया जिनके नाम आज्ञा सूची में अंकित किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.03.1999 को आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। गवाहों के बयान अनुसार भी जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी के सिवाय किसी का कोई कब्जा नहीं है। बैठक दिनांक 25.11.99 के प्रस्ताव संख्या 5 में सर्व सम्मति से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया जिसका क्षेत्रफल 162.4 वर्ग गज है, जो पंचायती राज नियम के अन्तर्गत जारी किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत लाम्बिया की रिपोर्ट दिनांक 20.07.19 के अनुसार भी ज्ञात होता है कि जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिवत तरीके से जारी किया गया है। जिससे जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हे।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत, लाम्बिया द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 25.

अति. जिला कलक्टर, पाली

11.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2427 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली